क्रमांक 12/44/93-6 जी0एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।
2. आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांवा मंडल।
3. सभी उपायुक्त तथा सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक)

दिनांक 27 मई, 1993।

विषय :—दिनांक 27/5/1993 को प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों की मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णय।

महोदय,

उपरोक्त लिखित बैठक में कार्यालयों में गुणवत्ता तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये निर्णयों के आधार पर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं।

1. सभी विभागाध्यक्ष/कर्मचारी कार्यालय में समय पर आयें। इस संबंध में सरकार के पत्र क्रमांक 12/44/93-6 जी0एस0-I दिनांक 25 मई, 1993 द्वारा अलग से हिदायतें भी जारी की गई हैं।

2. सभी विभागाध्यक्ष/कर्मचारी सरकारी कार्य हिन्दी में करना सुनिश्चित करें। जिस बारे सरकार के पत्र क्रमांक 12/45/93-6 जी0एस0-I दिनांक 25 मई, 1993 द्वारा अलग से हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

3. सभी विभागाध्यक्ष/कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करें कि फाईलों के निपटान में किसी प्रकार की देरी न हो और साधारणतः सभी फाईलें किसी भी स्तर पर 3 दिन से अधिक समय के लिए लंबित न रहें।

4. सभी विभागाध्यक्ष महीने में कम से कम 4 दिन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करें।

कृपया सरकार के इन निर्देशों का दृढ़ता से पालन करें।

भवदीय,

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि वे भी सरकार के उपर लिखित निर्देशों का दृढ़ता से पालन करें और सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों का पालन पूर्णतः करते हैं।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार।